(331)

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R - 1605-II-14

कुमार पयासी पिता लक्ष्मीप्रसाद पयासी निवासी जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. कुंज बिहारी गुप्ता पिता स्वामीदीन गुप्ता निवासी जयसिहनगर तहसील जयसिहनगर जिला–शहडोल (म0प्र0).
2. सुनैना पत्नी देवदत्त गुप्ता निवासी जयसिहनगर तहसील जयसिहनगर जिला–शहडोल (म0प्र0).
3. म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... उत्तरवादीगण

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग

क्रमांक 1687 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 26-5-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

राजस्व निगरानी

विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील जयसिंहनगर बसिलसिले राजस्व प्र.क्र.–26अ12/2012–13 आदेश दिनांक 14.07.2013

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि उत्तरवादी क. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मौजा जयसिंहनगर की आराजी खसरा नं. 648 / 1ख रकवा 0.008 हे., 651 / 2 रकवा 0.012 हे., एवं खसरा नं. 652 / 1 / 1 / 1ख रकवा 0.033 हे. के सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि पूर्व में राजस्व नक्शा में नक्शा तरमीम की कार्यवाही नही हुई थी इसके बाद भी राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी गलत व अवैध सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 27.04.2013 को प्रस्तुत किया उसकी जानकारी होने पर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की तथा बताया गया कि निगरानीकर्ता मौजा जयसिहनगर स्थित आराजी खसरा नं. 652 / 1ख रकवा 0.02 हे. का भूमिस्वामी व मालिक है तथा अपनी भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1989 के द्वारा पूर्व पट्टेदार चरकू से कय किया गया था तथा क्रय शुदा आराजी के विक्रय के पंजीयन में भूमि की जिस चतुर सीमा को निगरानीकर्ता क्रय किया था उसका उल्लेख भी पंजीकृत विक्रय पत्र में था तथा अपनी कय शुदा आराज पर निगरानीकर्ता कब्जे दखल में मकान की नींव बनाकर चला आ रहा है । निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2013 को स्वीकार करते हुए पुनः राजस्व निरीक्षक को सरहद्दी काश्तकारों के समक्ष सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया तारीख पेशी दिनांक 21.06.2013 तक राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत न होने पर दिनांक 14.07.2013 की तारीख पेशी नियत की गई यद्यपि दिनांक 14.07.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक सीमांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नही था क्योंकि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत पश्चातवर्ती प्रतिवेदन में दिनांक 10.08.2013 को सूंचना जारी कर दिनांक 13.08.2013 को मौका जांच एवं तरर्मीम की कार्यवाही किए जाने की सूचना जारी की गई और दिनांक 13.08.2013 को राजस्व निरीक्षक द्वारा पुनः गलत तरर्मीम व सीमांकन किया जाकर पचनामा तैयार किया गया यद्यपि अपने पंचनामा के लगाए गए नजरी–नक्शा में भी जिस प्रकार से निगरानीकर्ता एवं उत्तरवादी क्र. 1 व 2 भूमि क्रय किए थे उसका उल्लेख किया गया है लेकिन अपने प्रतिवेदन में मौके की स्थिति जो कि जिसप्रकार लेख है वैसा न होने के बाद भी राजस्व निरीक्षक द्वारा वर्तमान मौके की स्थिति दर्शाकर दिनांक 30.08.2013 को अपना प्रतिवेदन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–1605–दो / 2014 जिला–शहडोल

राजकुमार पयासी विरूद्ध कुंज बिहारी गुप्ता व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जयसिंहनगर बसिलसिले, जिला–शहडोल के प्रकरण क्रमांक 26 / अ–12 / 2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किंये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर, जिला–शहडोल को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 18/03/19	